फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्रीराम हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 123, Angappa Naichen Street, Chenni-600001 एवं शाखा कार्यालय 2nd Floor, ऑकारम टावर आम्रपाली सर्कल के पास, वैशाली नगर, जयपुर– 302001, राज. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राम अवतार।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीनारायण सालवी पुत्र श्री नाना लाल पताः ग्राम भाटोली जे.के. ग्राम पंचायत समिति, जिला राजसमंद एवं नवभारत शिक्षण संस्थान ग्राम एमडी, पंचायत समिति, जिला राजसमंद – 313342

–ऋणी/अप्रार्थीगण

2. श्रीमति सीमा सालवी पुत्री श्री नानालाल पताः ग्राम भाटोली जे.के. ग्राम पंचायत समिति, जिला राजसमंद एवं नवभारत शिक्षणः संस्थान ग्राम एमडी पंचायत समिति जिला राजसमंद एवं ग्राम सन्रेसा, तहसील और जिला राजसमंद – 313342

–सहऋणी/अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 58/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.06.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी श्रीराम हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड जयपुर ने दिनांक 08.12.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने बतौर ऋणी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने बतौर सह ऋणी प्रार्थी वित्तीय संस्थान से दिनांक 28.07.2018 को ऋण अनुबंध संख्या SBTHUDIP0000091 एवं STUHUDIP0000092 से 2222017/– अक्षरे बाईस लाख बाईस हजार सतरह रूपये का ऋण लिया था। विपक्षी सं. 1 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपति को प्रार्थी के पक्ष में रहन रखा है और उस पर निर्मित भवन एवं ढॉचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :– **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** श्री लक्ष्मीनारायण सालवी पुत्र श्री नानालाल पता :– अर्जी नं. 615, ग्राम पंचायत भाटोली पंचायत समिति, राजसमंद में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भुमि एवं ढाचॉ आदि, जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 861.60 वर्ग फीट है, जिसकी	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि:– पूर्वः श्री रामचन्द्र कुमावत का मकान पश्चिमः रास्ता उत्तरः रास्ता दक्षिणः श्री भूरालाल का मकान, अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यक्तिक्रम व अतिदेय होने पर उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 25,26,109/– अक्षरे पच्चीस लाख छबीस हजार एक सो नौ रूपये, दिनांक 16.07.2021 तक देय हैं व दिनांक 16.07.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 21.08.2021 को अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 1 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन किए गए है, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन–12 जो कि निम्न प्रकार से है:–

Section 12 In the principal Act, in section 14, in sub-section (1),-

(i) in the second proviso, after the words " secured assets", the words " within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted:

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days."

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 21.08.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और

न्यायालय जिला कलक्टर

पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी श्रीराम हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्री लक्ष्मीनारायण सालवी पुत्र श्री नानालाल पताः– अर्जी नं. 615, ग्राम पंचायत भाटोली पंचायत समिति, राजसमंद में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भुमि एवं ढाचॉ आदि, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 861.60 वर्ग फीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है किः– पूर्वः श्री रामचन्द्र कुमावत का मकान पश्चिमः रास्ता उत्तरः रास्ता दक्षिणः श्री भूरालाल का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी श्रीराम हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी श्रीराम हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)